

**एसीबी ने आईसीडीएस में फ्लोर डेस्क खरीद में विशेष फर्म को
अनुचित फायदा पहुंचाने के आरोप में दो दलाल गिरफ्तार किए
—छह अन्य अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज**

जयपुर, 10 मई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गुरुवार को महिला एवं बाल विकास विभाग (आईसीडीएस) में फ्लोर डेस्क खरीदने की टेण्डर प्रक्रिया में विशेष फर्म को अनुचित फायदा पहुंचाने के आरोप में दो दलालों को गिरफ्तार कर एक दिन के रिमाण्ड पर लिया है। छह अन्य अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री आलोक त्रिपाठी ने बताया कि परिवादी श्री भोमेश्वर थानवी ने इस संबंध में एसीबी को लिखित परिवाद प्रस्तुत किया। आईसीडीएस विभाग में फ्लोर डेस्क खरीदने के लिए टेण्डर प्रक्रिया जारी है। यह आइटम एमएसएमई सेक्टर के लिए राजस्थान सरकार द्वारा रिजर्व है किन्तु सांठ-गांठ एवं अनुचित लाभ कमाने के लिए लोक सेवकों ने इसे स्टील फर्नीचर को प्लास्टिक आइटम घोषित कर एमएसएमई की रिजर्व लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। इसमें भारी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। तत्काल कार्रवाई न करने से सरकार को भारी हानि की संभावना है। इस पर एसीबी ने परिवाद दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू की। महानिरीक्षक पुलिस—द्वितीय श्री वीके सिंह के सुपर विजन प्राप्त परिवाद पर अंकित आरोपों के सत्यापन के दौरान दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य संकलित किए गए।

श्री त्रिपाठी ने बताया कि जांच से यह पाया गया है कि आरोपी लोक सेवकों ने प्राइवेट व्यक्तियों से आपसी षड्यंत्र कर फ्लोर डेस्क सिटिंग का टेण्डर अयोग्य फर्म को षड्यंत्र पूर्वक पूर्वनियोजित योजना के तहत टेण्डर का कार्यादेश प्रदान कर राज्य सरकार को अनुचित हानि एवं प्राइवेट फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। इसके प्रतिफलस्वरूप आरोपीगण की ओर

से अवैध परितोषण प्राप्त किये जाने का कृत्य अन्तर्गत धारा 7, 8, 9, 13(1) डी सपठित 13(2) एवं 15 पीसी एक्ट 1988 तथा धारा 120 बी, 420, 467, 468, 471, 193 भा.द.स. का अपराध किया जाना प्रथम दृष्ट्या कारित किया जाना पाया गया है।

अतिरिक्त महानिदेशक श्री आलोक त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी दलाल सीके जोशी व कमलजीत राणावत ने अधिकारियों से मिलीभगत कर हर स्तर पर टेंडर प्रक्रिया को मैनेज कर टेंडर टेक्नोक्राफ्ट फर्म को दिलाने का प्रयास किया। इस फर्म को टेंडर दिलवाने के लिए डमी प्रतिस्पर्द्धी फर्म खड़ी की गई एवं शर्तों में बदलाव करवाकर वास्तविक कम्पनियों को टेंडर प्रक्रिया से बाहर करवा दिया। खरीद कमेटी के सदस्यों को अनुचित फायदा देकर ऐन-केन प्रकारेण किसी भी हद तक जाकर टेक्नोक्राफ्ट फर्म को टेंडर दिलवाने का प्रयास किया।

अतिरिक्त महानिदेशक श्री त्रिपाठी ने बताया कि परिवाद की जांच के पश्चात् आरोपी फर्म टेक्नोक्राफ्ट ऐसोसिएट के प्रोपराईटर विष्णु बनवानी, निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं के सहायक निदेशक (आईईसी) सोमेश्वर देवड़ा, उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक पीआर शर्मा उर्फ पांचू राम शर्मा, आईसीडीएस की तत्कालीन वित्तीय सलाहकार स्मिता सरीन, श्रम विभाग के पीएस भगवान दास, दलाल सीके जोशी कमलजीत राणावत, भवानी पालावत व अन्य के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित होने पर उपरोक्त धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है। दलाल दलाल सीके जोशी व कमलजीत राणावत को गिरफ्तार कर एसीबी कोर्ट में पेश किया जहां से इन्हें एक दिन के रिमाण्ड पर भेज दिया गया।